न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता, RAS.

प्रकरण संख्या :– 06/2024 GCMS No. 2024/17

परिवादी :–

1. श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री मोहम्मद आरिफ पुत्र श्री अब्दुल शकूर (खाद्यकारोबारकर्ता) निवासी आईशा मस्जिद के पास, निवासी मकराना जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)
फर्म – मैसर्स आरिफ किराणा स्टोर, आईशा मस्जिद के पास, मकराना।

" अर्न्तगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम की धारा 26 की उपधारा 2(v) एवं दण्डनीय धारा 58 "

उपस्थिति :– अभियुक्त श्री मोहम्मद आरिफ पुत्र श्री अब्दुल शकूर ।

–:निर्णय :–

दिनांक :– 19/11/2025

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.03.2024 को समय 03:00 पी.एम. पर फर्म मैसर्स आरिफ किराणा स्टोर, आईशा मस्जिद के पास, मकराना, पर पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति श्री मोहम्मद आरिफ पुत्र श्री अब्दुल शकूर , निवासी आईशा मस्जिद के पास, मकराना जिला डीडवाना–कुचामन पर मालिक एवं खांद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। जिसकी छायाप्रति पत्रावली के संलग्न है।

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर लगभग 15 किलोग्राम हल्दी पाउडर (लूज) आमजन को विक्रय हेतु रखा ... जिनमें गुणवत्ता में कमी का अंदेशा होने पर 2 किलो हल्दी पाउडर (लूज) ... जांच हेतु खरीदा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:19:12 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

जिसकी कीमत मोहम्मद आरिफ को 360/– रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता मालिक के हस्ताक्षर है, तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाए। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न प्रस्तुत की गई है।

(3) यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर प्रपत्र 5 ए की प्रतियाँ तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता मालिक तथा गवाहान को पढ़कर, समझाई गई, जिन्होने सही मानकर हस्ताक्षर किए। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। प्रपत्र 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक श्री मोहम्मद आरिफ को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5 ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न प्रस्तुत की गई है।

(4) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदसुदा हल्दी पाउडर (लूज) 2 किलोग्राम को चौड़े मुँह के चार प्लास्टिक जारो में बराबर–बराबर डालकर प्रत्यके जार के ढक्कन को एयर टाईट बन्द कर उनके लेबल तैयार कर चिपकाये। और लेबलो पर डी.ओ. नागौर के कोड एवं क्रमांक Q–2895, दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्यकारोबारकर्ता, तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। तत्पश्चात चारो नमूना भागो को अलग अलग खकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप, क्रमाक Q–2895 को नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपका कर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर निमयानुसार इस प्रकार करवाये की पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो के रेपर पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर सीलबन्द चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया।

(5) मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समक्षाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री मोहम्मद आरिफ एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल संलग्न न्याय निर्णयनिर्णयन आवेदन है।

(6) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की 6 प्रतियॉ तैयार की व प्रत्येक पर नमूना सील लगाई, जिससे नमूना को सील किया। एक नमूना भाग में फार्म [illegible] की प्रति के आउटर, कवर में सीलबन्द कर सील[illegible] [illegible]स्वास्थ्य प्रयोगशाला

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:19:12 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त की। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विशलेषक अजमेंर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की अग्र भाग पर रसीद प्राप्त की, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न प्रस्तुत की गई है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग में फार्म संख्या 6 की दो प्रतियो एवं चौथा भाग में फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को अगले कार्यदिवस में जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो मूल संलग्न न्यायनिर्णयन हेतु आवेदन के साथ संलग्न प्रस्तुत की गई है।

(7) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2024/325 दिनांक 02.05.2024 के संलग्न जांच रिपोर्ट संख्या LS/397/Act/2024/425 दिनांक 12.04.2024 के द्वारा मालूम हुआ कि मेरे द्वारा लिया गया हल्दी पाउडर (लूज) का नमूना Contravention of Regulation होना पाया गया है। जॉच रिपोर्ट मूल संलग्न न्यायनिर्णयन हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

(8) प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में अभियोजन संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है।

(9) उक्त प्रकरण में मोहम्मद आरीफ ने खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) Contravention of Regulation का विक्रय करके F.S.S.A. 2006 की धारा Contravention of Regulation No. 2.3.14 (15) Of Food Safety and standards(Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011 as it **sold in loose condition.** धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना F.S.S.A. 2006 की धारा 58 में निर्धारित है।

प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 06.08.2024 को अभियुक्त श्री मोहम्मद आरिफ पुत्र श्री अब्दुल शकूर ने उपस्थित होकर बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर द्वारा जिस हल्दी पाउडर (लूज) का नमूना जांच के लिये लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार खुली अवस्था में बेचा जाना पाया गया। जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे खुली अवस्था में हल्दी का बेचान नहीं करने के बारे [illegible] नहीं थी। निवेदन करता हूं कि आगामी समय में कभी ऐसी गलती नहीं [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:19:12 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

प्रकरण में तथ्यों पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के FORM- VII A रिपोर्ट नं. L.S/397/Act/2024/425 दिनांक 12.04.2024 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:–

Opinion- The sample of **Haldi Powder** bearing Code No. and Sr. No **Q–2895** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur **Contravenes to Regulation No. 2.3.14.(15)** of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011 **it sold in loose condition.**

अतः खाद्य कारोबारकर्ता मोहम्मद आरिफ से वास्ते क्रय किया गया खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) नमूना नं. Q–2895 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत खुली अवस्था में विक्रय करना पाया गया है, जिसमें अभियुक्त ने विक्रय निषिद्ध घोषित किये, खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बधन) नियम 2011 के तहत खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) को खुली अवस्था में विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26, उपधारा 2(v) एंव 58 इस प्रकार है:–

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का:–

(v) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंधन में, स्वयं विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगाा या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कराएगा।

धारा–58

जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्ही भी उपबंधों का उल्लंधन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी [illegible]लोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/एफएसएसए/[illegible]/2024/325[illegible] दिनांक 02.05.2024 से खाद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:19:12 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

कारोबारकर्ता को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। अतः उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ सेम्पल Q–2895 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) और खाद्य सुरक्षा एंव मानक नियम 2.3.14.(15) का उल्लंघन पाया गया जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार, खुली अवस्था में खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्म– मैसर्स आरिफ किराणा स्टोर, आईशा मस्जिद के पास, मकराना विक्रेता एंव मालिक मोहम्मद आरिफ पुत्र श्री अब्दुल शकूर दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 58 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत अभियुक्त मोहम्मद आरिफ पुत्र श्री अब्दुल शकूर निवासी आईशा मस्जिद के पास, मकराना फर्मः– मैसर्स आरिफ किराणा स्टोर, आईशा मस्जिद के पास, मकराना, जिला नागौर पर राशि रुपये 5000/–(अक्षरे रुपये पाँच हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

आदेश दिनांक 19/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:19:12 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार गुप्ता)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी